न्यायालय : अवर न्यायाधीश,तृतीय अरेराज, पूर्वी चम्पारण।
स्वत्व वाद संख्या 74 / 2003
सीआइएस 769.18

प्रस्तुत समक्षः **श्री मनीष कुमार पाण्डेय।**

आदेश

दिनांक 30.11.2023 वाद पुकारा गया। मामले में वादी प्रस्तुत आवेदन 15.09.2022 के अन्तर्गत कहा गया है कि वादीगण द्वारा कुछ कागजात पूर्व में दाखिल किया गया है जो लोक दस्तावेज है जिन्हें प्रदर्श अंकित करने के लिए औपचारिक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है । यह कि वादीगण द्वारा कुछ दस्तावेज 30 वर्ष पुराने है जिनको प्रदर्श अंकित करने के लिए औपचारिक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है । वादी द्वारा 8 दस्तावेज जो कि लोक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं जब कि 6 दस्तावेज जो कि मूल बयनामा दस्तावेज 17.03. 1925, मूल बयनामा दस्तावेज 05.08.1952, मूल बयनामा दस्तावेज 02.06.1966, मूल बयनामा दस्तावेज 14.06. 1963, मूल मालगुजारी रसीद जमावंदी सं0 43 वर्ष, 1958–59, 1959–60, 1964–65, 1966–67, 1968–79, 1969–70, 1971–72, 1976–77 एव 1977–78 है एवं मूल मालगुजारी रसीद जमावंदी सं0 81 वर्ष 1966–67 , 1969–70, 1971–72, 1972–73, 1974–75, 1977–78 है इन्हें पद्रर्श के रूप में अंकित करना आवश्यक है अतः मामले में वादी के दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित करने की कृपा करे।

प्रतिवादी की तरफ से आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि मामले में वादी द्वारा दाखिल दरख्वास्त विलंब से एवं वादी ने वाद पद गठन के बाद कागजात दाखिल किये हैं यह कि कागजात को कब दाखिल किया गया । इस जिक्र आवेदन में नहीं किया गया है और दाखिल कागजात के लिए औपचारिक साक्ष्य की आवश्यकता है वादी के द्वारा दाखिल दस्तावेज से मुकदमा का कोई वास्ता नहीं है अतः आवेदन खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया । अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि मामले में वादी के द्वारा न्यायालय में प्रदर्श करने हेतु बहुत सारे लोक दस्तावेज तथा 30 वर्ष से पुराने दस्तावेज न्यायालय में दाखिल किये गये हैं । मामले के सम्यक निस्तारण हेतु दस्तावेजों का प्रदर्श अंकित करना आवश्यक है । मामले में दस्तावेज लोक दस्तावेज एवं 30 वर्ष से पुराने दस्तावेज हैं अत : ऐसे दस्तावेजों का प्रदर्श अंकित होना आवश्यक है अतः वादी का आवेदन स्वीकृत किया जाता है और दस्तावेजों को प्रदर्श के रूप में अंकित करने की इजाजत दी जाती है। मामले में कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह लोक दस्तावेज तथा 30 वर्ष से पुराने दस्तावेजों पर प्रदर्श संख्या अंकित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। वाद दिनांक .....वास्ते साक्ष्य।

लेखापित तथा संशोधित

अवर न्यायाधीश
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)